भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि और कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 582
जिसका उत्तर गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामले

582 श्री महेश पोद्दार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलूरू में समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की शुरुआत के पश्चात विवादों के निपटान में कितना समय लगा, कितने मामले निपटाए गए तथा कितने मामले लंबित हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार की आगामी तीन वर्षों में ऐसे न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने की योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी समर्पित बजटीय आवंटन और अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार वाणिज्यिक विवादों के न्यायालय से बाहर ही त्वरित समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रही है, और

(घ) क्या सरकार का इरादा चेम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे व्यापारिक निकायों को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान करने का है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 3 और उसके परंतुक के अनुसार, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से, उतनी संख्या में, जितनी वह आवश्यक समझे, वाणिज्यिक न्यायालय गठित करने में समर्थ है । मुम्बई, दिल्ली, बैंगलूरू और कोलकात्ता वाणिज्यिक न्यायालय के शहरों में जिला न्यायाधीश स्तर पर 3 लाख रुपए और उससे ऊपर के विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का न्यायनिर्णयण करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन किया गया है ।

अधिनियम में यह उपबंध है कि वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय वाद के विचारण में यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध का अनुसरण करेंगे, जिससे कि ऐसे वाणिज्यिक विवाद के निपटान के संबंध में दक्षता में सुधार लाया जा सके और विलंब को कम किया जा सके । इसमें यह और उपबंध है कि जहां कोई अत्यावश्यक आंतरिक अनुतोष अनुध्यात नहीं है, वहां पक्षकार को संबंधित वाणिज्यिक न्यायालय में वाद फाइल करने से पहले पूर्व-मध्यकता और समझौता संस्थन (पीआईएमएस) के उपचार को आवश्यक रूप से पूरा करे

। पूर्व-मध्यकता और समझौता संस्थन (पीआईएमएस) के माध्यम से मामले का समाधान करने के लिए समयावधि तीन मास है, जो दो मास की अवधि तक और बढ़ाई जा सकती है । मुम्बई, दिल्ली, बैंगलूरू और कोलकात्ता स्थित वाणिज्यिक न्यायालयों में मामलों की प्रास्थिति निम्नानुसार है :--

क्रम सं0	निम्नलिखित में स्थित वाणिज्यिक न्यायालय	मामलों का निपटान	लंबित मामले
1.	मुम्बई	828	2697
2.	बंगलूरू	3122	3258
3.	दिल्ली	63364	23556
4.	कोलकात्ता	455	443

(ग) : न्यायालय समझौता को सुकर बनाने के लिए और न्यायालयों के कार्यभार को सरल बनाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में उन मामलों में "पूर्व-मध्यकता और समझौता संस्थन" (पीआईएमएस) (अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र) के लिए आवश्यक उपबंध के लिए प्रावधान है, जिनमें अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष अनुध्यात नहीं है ।

(घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

****